<u>पंजीकृत पावती</u> उल्लंघन पत्र

1/16241/2023





## भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

माखुपुरा औद्यौगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area, अजमेर — 305002 (राजस्थान) Ajmer- 305002 (Rajasthan)

**दिनांक**: 04.09.2023

Mine Code: 38RAJ24001

संख्या: E/4631/MCDR-MiFLOLST/20/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

प्रेषित: खान एजेंट, लक्ष्मी सिमेन्ट चूना पत्थर खान,

मेसर्स जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,

पोस्ट-जेकेपुरम, जिला-सिरोही (राजस्थान) 307019

Email- sksaxena@lc.jkmail.com, plodha@lc.jkmail.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Lakhsmi Cement Limestone Mine** (Lease area 390.625Hect., ML No. 10/99) situated in Sirohi District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 08.08.2023 by the undersigned in presence of Shri

Praveen Lodha Sr. GM (Mines) & Mines Manager:

Rule	Nature of violation observed in detail
No.	
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of
	Mining Plan (Approved on 24.12.2019): -
	1) During the year 2022-23, total 80m retaining wall was proposed along the screen reject dump,
	but no such retaining wall was observed during the inspection.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 03. अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पेंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय,

(डी.आर. गुर्जर) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

## प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित: -

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सिरोही ।
- 4. रक्षित पत्रावली ।